रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 586] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 586] NEW DELHI MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 29th November 1971

S.O. 5254.—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the following financial institutions for the purposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1972, and any subsequent assessment year, namely.—

1. The National Small Industries Corporation Limited;
2. The Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited;
3. The West Bengal Industrial Development Corporation Limited;
4. The Kerala State Industrial Development Corporation Limited;
5. The State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Limited
6. The Gujarat Industrial and Investment Corporation Limited;
7. The Andhra Pradesh Small Scale Industrial Development Corporation Limited;
8. The Punjab State Small Industries Corporation Limited; and
9. The Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited.

[No. 340/F. No. 3(21)/69-TPL.]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

का० आ० 5254.—कम्पनी लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खंड (5) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1 अप्रैल, 1972 से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. दि नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड;
2. दि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ;
3. दि वैस्ट बंगाल इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;
4. दि केरल स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड;
5. दि स्टेट इंडस्ट्रीयल एण्ड इनवैस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड ;
6. दि गुजरात इंडस्ट्रीयल एण्ड इनवैस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;
7. दि आंध्र प्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;
8. दि पंजाब स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड; और
9. दि उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ।

[सं० 340/फा० सं० 3(21)/69—टी० पी० एल०]

आर० डी० शाह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971